

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पत्रांक:  
सेवा में,

दिनांक : 19/07/17

जिला रोड साइड लैण्ड  
कन्ट्रोल एक्ट अधिकारी अलीगढ़।  
विषय :- प्रार्थना पत्र टैरेटरी मैनेजर (रिटेल) मथुरा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, लिमिटेड, ग्राम-सिकन्दरपुर भुकरावली,  
खसरा नं0-28, तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ वावत देहली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91 शहरी भाग) के कि0मी0  
126.00 के चैनेज 125.910 मीटर पर नवीन रिटेल आउटलेट (बी0पी0सी0एल0) के स्थापित करने हेतु अनापत्ति  
प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।  
संदर्भ :- जिलापूति अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 1047/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/17 दिनांक 20.05.2017 तथा मुख्य  
अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 7745/116सी0-आ0क्षे0/17 दिनांक 17.07.2017 एवं  
अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पृष्ठांकन सं0-2419/4सी0-अ0वृ0/2016 दिनांक  
17.07.2017

- उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन की जाती है।
1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र यू0पी0रो0सा0लै0क0ए0 के अनुसार बने हैं।
  2. आवेदक ने निर्माण कार्य बिना जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये प्रारम्भ नहीं किया है।
  3. आवेदक के विरुद्ध यू0पी0रो0सा0लै0क0ए0 1945 के अन्तर्गत कोई भी वाद इस खण्ड में विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
  4. प्रस्तावित स्थल की सड़क का वर्गीकरण (कैटेगरी ऑफ रोड) अन्य जिला मार्ग (शहरी भाग) की श्रेणी का है।
  5. प्रस्तावित स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
  6. प्रस्तुत मानचित्र में मार्ग के मध्य बिन्दु से बफर रिट्रप की दूरी 22.86 मी0, प्रथम रिटेल आउटलेट की दूरी 30.86 मी0, द्वितीय रिटेल आउटलेट की दूरी 37.36 मी0।  
आवेदक को मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर नवीन रिटेल आउटलेट (बी0पी0सी0एल0) के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।
- (क) आवेदक को प्रस्तावित स्थल का पानी निकासी हेतु नाली एवं पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार स्वयं अपने ही व्यय से कराना होगा तथा निर्माण से पहले विभाग से लीज एग्रीमेन्ट कराना होगा। जिसका भू-स्वामित्व इस विभाग का होगा।
- (ख) आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर की दूरी के बाद ही निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
- (ग) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात संचालन में अवरोध न हो पाये।
- (घ) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा।
- (ङ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।
- (च) लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0 33023-19 /99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइड लाइनों का अनुपालन करना होगा।

संलग्न : 1. मानचित्र 3 प्रति 2. चैक लिस्ट 3 नं0  
3. एफीडेविट 3 नं0 4. भूस्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एवं सेलडीड  
5. लीजडीड एग्रीमेन्ट 3 नं0

(प्रताप सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
नि0ख0-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़  
दिनांक: 19/07/17

पत्रांक:  
प्रतिलिपि-

2520 / 9C

1. जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ को उनके पत्रांक 1047/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/17 दिनांक 20.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) को।

  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Office Mathura

अधिशासी अभियन्ता (रिटेल) मथुरा  
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड  
प्लॉट नं0-1, सेक्टर नं0 26, इन्डियन एलिस  
एलिस, चं. नि.स.स.स. मथुरा-201005

अधिशासी अभियन्ता  
नि0ख0-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़